

**फर्द अहकाम**

(विभाग 26)

अज अवालत ..... अधिकारी ..... शिकराय .....

सरकार बनाम ..... शिरीरमा बनाम कमली व गैर

किरम मुकदमा ..... मु० नं० ..... 51/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
25.1.23	<p>प्राथमिकी वादते निर्णय प्राप्त करीके पेश हुई।                      वरम उभयपक्ष अधिवक्तालय पर गौर किया गया                      वकील वादी द्वारा कथन किया गया कि 14/10/22                      शाम 6:00 बजे पर मकान बना रहा है इसलिए                      बतवार तक 7:00 बजे तक वकील अधिवक्ता                      द्वारा वरम में निवेदन किया गया कि 14/10/22                      का वादती रूप से फिर गए बतवार                      अनुसार ही अपने हिससे पर निर्णय कर                      कर रहे है एवं वादी द्वारा पूर्व में स्वयं                      द्वारा मकान का निर्माण कर लिया गया है                      उभयपक्ष वरम एवं पेश इंतबावैदात का कवला                      किया गया। विवादित मामे में परिवार का                      हिस्सा भी है, फिर पर उभे अपने हिससे                      में निर्माण से रोकना प्राप्ताधिकार नहीं है।                      अतः अगले 3 सप्ताह निर्णय दि 25.05.2022                      इसी स्तर पर खारिज की जाती है प्राथमिकी                      फल शुभ होकर मन्वुल से कमली</p>	

उपखण्ड अधिकारी  
शिकराय (दौसा)